कार्यपालिक सारांश

राज्य की राजकोषीय स्थिति

मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात् भी वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई है। यद्यपि वर्ष 2017–18 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजीगत व्यय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में मामूली कम हुआ, जहाँ पर उसी वर्ष राजस्व व्यय मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात् भी बढ़ा।

कंडिका 1.1.1

राज्य ने बजट अनुमान 2017–18 और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया ऋण का अनुपात, के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। यद्यपि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात (18.14 प्रतिशत) 14वें वित्त आयोग की सीमा (17.05 प्रतिशत) से ज्यादा था, जो राज्य शासन का छत्तीसगढ़ विकास ऋण के तहत बाजार ऋण ₹ 8,100 करोड़ लेने के कारण हुआ।

कंडिका 1.1.2

छत्तीसगढ़ शासन का प्राथमिक घाटा वर्ष 2013–18 के दौरान ₹ 1,361 करोड़ और ₹ 6,281 करोड़ के बीच रहा, जो इंगित करता है कि गैर–ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

कंडिका 1.1.2.2

संसाधन गतिशीलता

राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 59,647 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 53,685 करोड़) से ₹ 5,962 करोड़ (11.11 प्रतिशत) बढ़ी जो बजट अनुमानों (₹ 66,094 करोड़) से 9.75 प्रतिशत कम था।

राजस्व व्यय (₹ 56,230 करोड़) वर्ष 2016–17 के मुकाबले ₹ 8,065 करोड़ (16.74 प्रतिशत) तक बढ़ा जो बजट अनुमान (₹ 61,313 करोड़) से 8.29 प्रतिशत कम था।

पूँजीगत व्यय (₹ 10,001 करोड़) वर्ष 2016–17 के मुकाबले ₹ 530 करोड़ (5.60 प्रतिशत) तक बढ़ा जो बजट अनुमान (₹ 14,454 करोड़) से 30.81 प्रतिशत कम था।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच लगातार अन्तर कम हो।*

कंडिका 1.1.3, 1.2.1,1.3,1.6.1 एवं 1.6.2

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा और अनुशंसाओं का सारांशः

जेंडर बजट

महिलाओं के केंद्रित कार्यों के लिए विशेष रूप से 28 योजनाओं के लिए ₹ 4,904 करोड़ रूपये के बजट प्रावधानों में से केवल ₹ 4,003 करोड़ (81.61 प्रतिशत) खर्च किए गए थे।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करके समय–समय पर सभी जेंडर बजट योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि महिलाओं से संबंधित कार्यों हेतु प्रावधान का पूर्णतः उपयोग किया जा सकें और वास्तिविक खर्चे की जाँच के लिए अलग उप–शीर्ष और उद्देश्य–शीर्ष भी खोलना चाहिए।*

कंडिका 1.1.4

क्षतिपूर्ति उपकर का अनंतिम समायोजन

भारत सरकार से प्राप्त होने वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 113.43 करोड़ में से ₹ 106 करोड़ वास्तव में प्राप्त हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 7.43 करोड़ राज्य शासन को कम हस्तांतरित हुआ।

₹ 322 करोड़ का अग्रिम भुगतान माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2017 के लिये राज्यों को देय क्षतिपूर्ति से किया गया, उस समयावधि के दौरान ₹ 322 करोड़ की राजस्व प्राप्ति के रूप में जोड़ना, स्वीकृति आदेश के अनुसार अनियमित है।

अनुशंसा: *सरकार को भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की शेष राशि वापसी के लिए कार्य करना चाहिए।*

कंडिका 1.4.4.1 एवं 1.4.4.2

नवीन पेंशन योजना

मार्च 2006 से नवीन पेंशन योजना में योगदान के साथ दिसंबर 2004 से फरवरी 2006 तक बकाया अंशदान की कटौती की गई है। वर्ष 2006–18 के दौरान कर्मचारियों के अंशदान ₹ 1,697.89 करोड़ के सापेक्ष, राज्य शासन ₹ 1,688.26 करोड़ बकाया जमा किया जो कि ₹ 9.63 करोड़ कम था।

दिनांक 31 मार्च 2018, की स्थति में ₹ 14.51 करोड़ लोक लेखे से एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक, में स्थानांतरित के लिए बकाया थे। ₹ 9.63 करोड़ का संक्षप्ति योगदान और ₹ 14.51 करोड़ गैर हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 24.14 करोड़ की देयता की अनावश्यक सृजन हुई।

अनुशंसा: *राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ता के हिस्से के साथ कर्मचारियों को योगदान तुरंत एन.एस.डी.एल. में स्थानांतरित कर दिया जाए।*

कंडिका 1.6.3

लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2017–18 के दौरान सकल व्यय से विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय और शिक्षा क्षेत्र पर व्यय, पूँजीगत व्यय और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से ज्यादा था।

कंडिका 1.7.1

अपूर्ण परियोजनायें

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में 110 अपूर्ण परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 3,712.38 करोड़) में से आज तक, 42 परियोजनाओं में ₹ 2,843.25 करोड़ लागत से अधिक थे (जहाँ लागत को संशोधित किया गया) चूँकि राज्य शासन ने 68 अपूर्ण परियोजनाओं में लागत मूल्याकन नहीं किया है, राज्य शासन द्वारा किये जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका।

अनुशंसा: *लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग सभी अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का पुनर्मूल्यांकन कर सकते है और परियोजनाओं को समय पर पूरा होने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकते है।*

कंडिका 1.8.2

निवेश, ऋण व अग्रिमों पर प्रतिफल

वर्ष 2013–18 के दौरान राज्य शासन ने सरकार के लिए गये उधार लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच अन्तर के कारण ₹ 1,477.23 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया।

यह भी कि, विगत पाँच वर्षों में राज्य शासन ने सरकार के लिए गये उधार और दिये गये ऋण के बीच के अन्तर के कारण ₹ 33.81 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को उन कंपनियों/निगमों/बैंक में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए जिनके वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधारी लागत को भी पूरा नहीं करते है। इसी तरह राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज दरों के बराबर या उससे अधिक ब्याज*

दरों पर ऋण विभिन्न संस्थाओं के लिए उचित हो, जो कि सरकार उधार निधियाँ पर भुगतान करती है।

कंडिका 1.8.3 एवं 1.8.4

राज्य आपदा राहत निधि (रा.आ.रा.नि.)

मार्च 2018 तक रा.आ.रा.नि. में ₹ 175.55 करोड़ का अंतिम शेष था। राज्य शासन को ओवरड्राफ्ट ब्याज दरों के आधार पर विनिवेश किए गए शेषों (₹ 693.20 करोड़) पर ब्याज भुगतान करना था। हालांकि, निधि के निर्माण के बाद से शासन ने राज्य आपदा राहत निधि को कोई ब्याज नहीं दिया। वर्ष 2010–18 की अवधि के लिए लागू दरों पर ब्याज ₹ 281.88 करोड का आंकलन किया गया है। इनमें से, सिर्फ वर्ष 2017–18 के लिए न चुकाया हुआ ब्याज ₹ 56.01 करोड था, जिसके कारण राजस्व आधिक्य को अधिक एवं राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार इस निधि के तहत शेष का निवेश करना चाहिए।*

कंडिका 1.9.4

संचित निक्षेप निधि

वर्ष 2017–18 के दौरान वर्ष के शुरूआत मे छत्तीसगढ़ शासन को न्यूनतम ₹ 217.15 करोड़ (प्रारंभिक वर्ष में बकाया दायित्व ₹ 43,430.86 करोड़ का 0.50 प्रतिशत) वार्षिक अंशदान, निधि मे स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी, इसके बदले छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 200 करोड हस्तांतरण किया। राज्य शासन द्वारा ₹ 17.15 करोड़ का कम योगदान दिया गया, परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य अधिक और राजकोषीय घाटा कम दर्शाया गया।

अनुशंसाः *छत्तीसगढ़ शासन को 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार जरूरत राशि के ऋण मुक्ति हेतु संचित निक्षेप निधि मे स्थानांतरित करना चाहिये।*

कंडिका 1.9.5

प्रत्याभूति की स्थिति–आकस्मिक दायित्व

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष के शूरूआत में बकाया प्रतिभूति के 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ एक प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यक्ता थी। तदानुसार राज्य शासन को प्रत्याभूति विमोचन विधि का गठन करने की आवश्यक्ता थी एवं वर्ष 2005–06 से 2017–18 के दौरान ₹ 132.51 करोड़ की स्थानांतरण करनी थी, जिसमें से ₹ 19.91 करोड़ केवल वर्ष 2017–18 संबंधित है। यद्यपि, राज्य शासन ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया। परिणामस्रूप, राज्य शासन का दायित्व ₹ 132.51 करोड़ बढ़ गया और महत्वपूर्ण वर्षों में और राजस्व आधिक्य को अधिक तथा राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया।

अनुशंसाः *राज्य शासन को 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार प्रत्याभूति की जोखिम का मूल्यांकन करने के बाद प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चहिए एवं निधि की ओर योगदान की मात्रा तय करनी चाहिए।*

कंडिका 1.9.6

आफ बजट दायित्व

छत्तीसगढ़ शासन ने, छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के ऋण के भुगतान की राशि ₹ 631.17 करोड़ का दायित्व कम दिखाया।

अनुशंसाः *कर्ज की प्रभावी देनदारी छत्तीसगढ़ शासन के लेखा में दर्शित होना चाहिए।*

कंडिका 1.9.6.1

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर सर्मपण

वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बचत ₹ 18,888.71 करोड़ रहा, जिसमें से ₹ 5,008.39 करोड़ (कुल बचत का 26.52 प्रतिशत) कालातीत हो गया। 31 मार्च 2018 को शेष बचत ₹ 13,878.32 करोड़ में से ₹ 13,838.17 करोड़ समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग का कोई संभावना नहीं रह गया।

अनुशंसाः *सभी पूर्वानुमानित बचतों को समर्पण समय पर किया जाना चाहिए ताकि निधियों का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।*

कंडिका 2.1

अतिरेक व्यय को नियमित करने की आवश्यकता

वर्ष 2000–01 से 2017–18 के लिए प्रावधानों पर ₹ 3,260.16 करोड़ का अतिरिक्त व्यय को, जैसे कि भारत के संविधान के अनुसार जरूरत है, राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल द्वारा नियमित कराने में विफल रहा है।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय के सभी मौजूदा मामलों को अति शीघ्र नियमित करने की आवश्यकता है और भविष्य में अत्यन्त एवं चरम आपात स्थिति के मामले, जिसका व्यय केवल आकस्मिक निधि से पूरा किया जा सके को छोड़कर इस तरह के व्यय को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए । जो विभागीय अधिकारी विधान मंडल के अनुमति से ज्यादा खर्च करते हैं उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही करनी चाहिए।*

कंडिका 2.2.1

बचत

कुल बचत ₹ 18,888.71 करोड़ के विरूद्ध 39 अनुदानों और दो विनियोग में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक तथा कुल प्रावधान का दस प्रतिशत से अधिक, ₹ 17,075.65 करोड़ (कुल बचत का 90.41 प्रतिशत) का बचत हुआ। कुल ₹ 18,886.70 करोड़ की कुल बचत में से, ₹ 3,191. 61 करोड़ की बचत के कारणों को विनियोग खातों में उचित रूप से नहीं बताया गया है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान 24 अनुदानों एवं तिन विनियेग के अंतर्गत 29 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक की सतत् बचत थी। चार प्रकरणों के प्रत्येक प्रावधान में 30 प्रतिशत से अधिक की सतत् बचत हुई थी।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को मासिक व्यय की ज्यादा कारगर समीक्षा करनी चाहिए ताकि सभी अनुमानित बचत का समर्पण समय पर हो सके।*

कंडिका 2.2.4, 2.2.5 एवं 2.2.13

व्यय की अतिवेग

वर्ष 2017–18 की अंतिम तिमाही के दौरान 28 मुख्य शीर्षों में ₹ 3,020.05 करोड़ का व्यय हुआ, जो कि इन शीर्षों के तहत कुल व्यय ₹ 4,574.82 करोड़ का 66.01 प्रतिशत है। इसका कुल व्यय ₹ 1,951.48 करोड़ (कुल व्यय का 42.66 प्रतिशत) वर्ष 2018 के मार्च माह में हुआ जो कि बजट मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत है।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान व्यय के अतिवेग को नियत्रित करना चाहिए।*

कंडिका 2.2.12

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान आकस्मिकता निधि से नौ प्रकरणों में ₹ 13.74 करोड़ आहरित किया गया जो कि न ही अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति की थी।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिक और अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय को पूरा करने के अलावा आकस्मिक निधि से कोई भी अग्रिम आहरित न की जाये, जैसा कि भारत के संविधान में निहित है ।*

कंडिका 2.3

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.)

दिनांक 31 मार्च 2018 तक कुल ₹ 2,413.40 करोड़ की कुल लागत 317 उ.प्र. पत्र बकाया थी, जिसमे विभिन्न विभागों में प्राप्त सहायता अनुदान के विरूद्ध 31 जनवरी 2019 तक ₹ 628.48 करोड़ के 100 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को एक समय–सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अंदर प्रशासनिक विभाग, जिन्होंने अनुदान जारी किया है, अनुदान आदेश में तय समयसीमा से परे लंबित सभी उ.प्र.प. प्राप्त करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि के दौरान प्रशासनिक विभाग कोई अन्य दोषी अनुदानग्राही को जारी न करें। सरकार को वैसे अधिकारी जो समय के अंदर उ.प्र.प. जमा नहीं करते है, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।*

कंडिका 3.1

संक्षिप्त आकस्मिक देयक एवं विस्तृत आकस्मिक देयक

दिनांक 31 जनवरी 2019 को, कुल लंबित 47 विस्तृत आकस्मिक देयक की राशि ₹ 115.15 करोड़ थी।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि में सं. आ. देयकों का समायोजन करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि इस निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हो।*

कंडिका 3.2

स्वायत्त निकाय का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण की स्थिति

छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला कानूनी सेवाएं अभिकरण और कैम्पा निधि छत्तीसगढ़ ने 06 माह से 30 माह की विलंब से लेखे प्रस्तुत किये जबकि छत्तीसगढ़ राज्य आवास मंडल ने 2011–12 से लेखे प्रस्तुत नहीं किये है।

अनुशंसाः *प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वायत्त निकाय लेखापरीक्षा को लेखे समय से प्रस्तुत करें।*

कंडिका 3.3

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

कुल 13 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के 19 लेखें 1 से 4 वर्षों तक लंबित थे। राज्य सरकार वर्ष 2017–18 तक दस कार्यशील सा.क्षे.उ. को ₹ 9,463.02 करोड़ का बजटीय समर्थन प्रत्याभूतिः ₹ 2,920,30 करोड़ (*तीन* सा.क्षे.उ.), अनुदानः ₹ 1,697.08 करोड़ (*छः* सा.क्षे.उ.) तथा अन्य सब्सिडी एवं राजस्व अनुदानः ₹ 4,845.64 करोड़ (*आठ* सा.क्षे.उ.) प्रदान किया गया। गैर–अकार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों को कोई बजटीय सहायता नहीं दी गई है। लेखाओं का निस्तारण न होने के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक, चार वर्षों की अवधि तक कम्पनियों की पूरक लेखापरीक्षा करने में असमर्थ रहे, जैसा कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्धारित है।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को सभी सा.क्षे. उपक्रमों के प्रकरणों (जिसके लेखे बकाया हैं) की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि तर्क संगत अवधि के अंदर लेखे अद्यतन हो और उस सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन अवरूद्ध करना चाहिए जहां लेखे लगातार बकाया है।*

कंडिका 3.4

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभंश का घोषित न होना

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं किया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को सरकार द्वारा अंशदानीत प्रदत्त शेयर पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। उनके नवीनतम लेखे अनुसार, 10 सा.क्षे.उ. ने ₹ 6,636.17 करोड़ की सरकारी इक्विटी वाले ₹ 104.04 करोड़ समग्र लाभ अर्जित किया। केवल दो सा.क्षे. उपक्रमों अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और राज्य भंडारण निगम ने क्रमशः ₹ 1.60 करोड़ और ₹ 0.81 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया।

अनुशंसाः *राज्य सरकार का शेयर पूँजी निवेश पर प्राप्त वापसी के लिए नीति तैयार करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि लाभांश अर्जित करने वाले सा.क्षे. उपक्रमों नीति के अधीन लाभांश घोषित करें।*

कंडिका 3.4.1

हानि तथा गबन इत्यादि के प्रकरणों का प्रतिवेदन

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मार्च 2018 के अंत तक निर्णायक जांच और निपटान के लिए ₹ 125.29 करोड़ की राशि लंबित थी।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को विभगीय कार्यवाही में तेजी लानी चाहिए, तथा एसे प्रकरणों के पुर्नावृत्ति को रोकने/घटाने हेतु आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करना चाहिये।*

कंडिका 3.5

व्यक्तिगत जमा खाते

छत्तीसगढ़ में मार्च 2018 तक, 263 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 1,757 करोड़ पड़े रहें जिसमें से 1,459.13 करोड़ भूमि अधिग्रहण और 135.67 करोड़ शिक्षा एवं वन जमा से संबंधित था और 8443–106 में दर्ज हुआ जो कि शीर्षो का अवर्गीकरण हुआ।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करने की आवश्यकता है तथा इस खाते में अनावश्यक पड़े हुए राशि शीघ्र ही संचित निधि में जमा करना सुनिश्चित करें और निधियों का उपयुक्त शीर्ष में वर्गीकरण हेतु निर्देशित करें।*

कंडिका 3.6

लघु शीर्ष–800 में समायोजन

राजस्व प्राप्ति तथा व्यय में 2,522.98 करोड़ (46 मुख्य शीर्षों) और 1,579.97 करोड़ (46 मुख्य शीर्षों) वास्तविक शीर्षों के वर्गीकरण के बिना लघु शीर्ष–800 में दर्ज किया गया।

अनुशंसाः *वित्तीय विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार विमर्श करके लघु शीर्ष–800 में प्रदर्शित होने वाले सभी का विस्तृत अवलोकन करे एवं यह सुनिश्चित करे कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय भविष्य में उपर्युक्त लेखा शीर्ष में दर्ज हों।*

कंडिका 3.8

अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

31 मार्च 2018 की स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष या आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजन प्रमाणक के गैर संग्रहण के कारण ₹ 22.66 करोड़ अग्रिम के 1,922 मामलें समायोजन के लिए लंबित थे।

अनुशंसाः *अस्थायी अग्रिम के यथासमय समायोजन के लिए शासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।*

कंडिका 3.9.2

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

मण्डल द्वारा उपलब्ध धन का केवल 42 *प्रतिशत* का उपयोग कर सका और 2017–18 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत केवल 34 *प्रतिशत* पंजीकृत श्रमिकों को लाभाविन्त किया गया। इस प्रकार, ₹ 279.69 करोड़ उपलब्ध धनराशि का उपयोग नहीं होने के कारण, पंजीकृत श्रमिक विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हो गये। छत्तीसगढ़ में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि से वर्ष 2017–18 के दौरान 42 *प्रतिशत* निधि का उपयोग हुआ जो कि मध्य प्रदेश (14 *प्रतिशत*), उत्तर प्रदेश (7 *प्रतिशत*) और बिहार (5 *प्रतिशत*) से अधिक रहा। यह भी कि 34 *प्रतिशत* श्रमिकों को लांभान्वित किया गया जो मध्यप्रदेश (19 *प्रतिशत*), उत्तर प्रदेश (8 *प्रतिशत*) और बिहार (11 *प्रतिशत*) से अधिक है।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत कर्मकार के लिए कार्यान्वित कल्याण योजनाओं पर अधिकतम राशि उपयोग में लाना सुनिश्चित करना चाहिए।*

कंडिका 3.10

राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन

नवंम्बर 2000 में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशक बाद अनुवर्ती राज्यों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच लोक लेखा शीर्षों के अंतर्गत राशि ₹ 118.28 करोड़, पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 5,750.38 करोड़ तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत ₹ 1,297.35 करोड़ राशि का संविभाजन किया जाना शेष है।

अनुशंसाः *दोनो अनुवर्ती राज्यों के बीच लोक लेखा, पूँजीगत लेखा जमा एवं अग्रिम की शेष राशि के बंटवारे की प्रकिया में तीव्रता लाने के लिए राज्य शासन को मध्य प्रदेश के साथ संपर्क करना चाहिए।*

कंडिका 3.11

राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

वित्त लेखे के अनुसार, व्यय तथा राजस्व में गलत प्रविष्टि/लेखन के कारण राजस्व आधिक्य में ₹ 2,429.00 करोड़ के अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटा में ₹ 66.46 करोड़ के न्यूनोक्ति हुई।

कंडिका 3.13